सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुज़फ़्फ़रनगर (खैरथल-तिजारा)

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुज़फ़्फ़रनगर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
228/2024	03.12.2024	18.02.2025

उनवान

1. सम्पतराम पुत्र श्री चन्द्र उर्फ चन्दर जाति जाट निवासी रायपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रार्थी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र श्री फूसाराम
2. गुरजीराम पुत्र श्री फूसाराम
3. धनीराम पुत्र श्री फूसाराम
4. निम्भा देवी पत्नी रतिराम
5. महेन्द्र
6. प्रकाश पुत्रान श्री रतिराम
7. संतोष
8. भूतेरी पुत्रीयान रतिराम
9. प्रभाती पुत्र श्री चन्दु उर्फ चन्दर
10. राजेश पुत्र श्री सांवलराम
11. रामखिलाडी पुत्र श्री फूसा
12. सत्यवीर पुत्र श्री सांवलराम
13. सांवलराम पुत्र श्री फूसाराम जातियान जाट निवासीयान रायपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
14. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
15. श्रीमान उपपंजियक महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर (फा0टे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री धर्मवीर बडसीवाल
अप्रार्थीगण अधिवक्ता – श्री रणवीर यादव

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें मिन प्रार्थी को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र में मिन प्रार्थी ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 113/0.01 हैक0, 114/0.01 हैक0, 115/1.37 हैक0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.39 हैक०, वाके ग्राम रूध तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी।
4. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ल0 13 की सामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है तथा मौके पर सामलात में काबिज होकर काश्त कर रहे है, राजस्व रिकोर्ड में सामलाती खातेदारी दर्ज है तथा लगान राजस्व सामलात में जमा कराते आ रहे हैं।
5. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ल0 13 की सामलाती आराजी है उक्त आराजी का आज तक कोई लिखीत व मौखिक बंटवारा नहीं हुआ है अबैट आराजी है लेकिन अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी को अपने हिस्से अनुसार सामलात में उपयोग और उपभोग करने में बाधा पहुंचा रहे है। मिन प्रार्थी सीधा सज्जन व्यक्ति है। अप्रार्थीगण दीगर लोगो के साथ एकराय होकर सामलाती आराजी से मिन प्रार्थी को बेदखल कर निर्माण कार्य करने की एलानिया धमकी दे रहे है, बार बार आराजी को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। जबकि कानूनन सामलाती आराजी पर हर हिस्सेदार का हर इंच इंच पर कब्जा माना गया है। जिस कारण मिन प्रार्थी का सामलात में काश्त करना नामुमकिन हो रहा है। इसलिये प्रार्थना पत्र तकासमा पेश करना लाजिम आया है।
6. यह है कि मिन प्रार्थी के खातेदारी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है और सामलाती आराजी पर हर कोशेयर का सामलात में हर इंच इंच पर कब्जा कानूनन माना जाता है और अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अजहद क्षति होगी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है जबकि प्रार्थना पत्र में प्राईमा फेसाई केश व सुविधा का सन्तुलन बहक प्रार्थी के पक्ष में है। जिस हेतू मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को पाबंद कराने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

7. यह है कि मिन प्रार्थी उक्त सामलाती आराजी का मुताबिक राजस्व रिकोर्ड के बाद कुरेजात के अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स आराजी का बंटवारा कराने का अधिकारी है।
8. यह है कि दिनांक 02/12/2024 को मिन प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर रहे था तो अप्रार्थीगण उक्त आराजी से बेदखल कर बेचान करने व निर्माण कार्य करने की धमकी देने लगे बडी मुश्किल से वाका टला बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। इसलिये प्रार्थना पत्र तकासमा पेश करना लाजिमी आया है।
9. यह है कि उक्त आराजी का सहखातेदार रतिराम फौत हो चुका है जिसके वारिसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बना दिया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो आराजी ख0 नं0 हाल 113/0.01 हैक0, 114/0.01 हैव0, 115/1.37 हैक०, कुल किता 3 कुल रकबा 1.39 हैक०, वाके ग्राम रूध तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में अप्रार्थीगण मिन प्रार्थी के काश्त कार्य में बाधा ना पहुंचावे ना निर्माण करे तथा सामलाती आराजी को दिगर जगह रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे तथा अप्रार्थी सं० 14 व 15 को पाबंद लिया जावे कि वो विवादित आराजी से संबंधित कोई दस्तावेज तस्दीक व पंजीबद्व ना करे रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करावाई गई। तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03, 10, लगायत 13 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 1 बाबत प्रार्थना पत्र है, गलत है, प्रार्थी को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिए।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का जिम्मन नं0 2 गलत है, स्वीकार नहीं है, प्रार्थी ने दस्तावेज गलत पेश किये है, तथा शपथ पत्र भी गलत है, प्रार्थी का केश प्रायमा फैसाई साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 3 इस प्रकार सही है कि आराजी वाके ग्राम रूंध तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 4 इस प्रकार गलत है कि पक्षकारान सामलात में काश्त कर रहे है बल्कि सही यह है कि आराजी मुतनाजा का बंहामी बंटवारा अर्सा करीब 50 वर्ष पूर्व हो गया था और तब से ही प्रत्येक खातेदार पृथक पृथक हिस्से आये अपने अपने भूखण्ड पर काबिज होकर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आराजी का उपयोग एवं उपभोग व काश्त कर रहे

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

है। आराजी केवल राजस्व रिकोर्ड में सामलाती दर्ज है लेकिन आराजी का बंहामी बंटवारा अर्सा दराज पूर्व हो गया था।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 5 इस प्रकार गलत है कि आराजी का बंहामी बंटवारा नहीं हुआ हो जबकि सही यह है कि आराजी का बहामी बंटवारा अर्सा करीब 50 वर्ष हो गया था प्रत्येक सहखातेदार बंहामी बंटवारे से प्राप्त भूखण्ड पर पृथक पृथक काबिज चले आ रहे है कुछ सहखातेदारान ने अपने हिस्से आयी आराजी में अब से पूर्व करीब 40 साल से मकान बनाकर रिहायस कर रखी है किसी ने 30 वर्ष पूर्व तो किसी खातेदार ने 10 वर्ष पूर्व इस आराजी में निर्माण किया है विवादित आराजी में हम अप्रार्थी ने सिंचाई हेतू बोरिंग कर रखी है। आराजी मुतनाजा में से हम अप्रार्थी ने किसी हिस्से का बेचान नहीं किया बल्कि दो अन्य सहखातेदारान से उनका हिस्सा खरीद किया है और फिलहाल आराजी मुतनाजा के किसी भाग को विक्रय करने का कोई इरादा नहीं है। प्रार्थी ने कथन किया है कि प्रत्येक सहखातेदार का सहखातेदारी की आराजी में प्रत्येक इंच पर कब्जा होता है इस कानूनी उपधारणा से प्रार्थी भी बाधित है क्योंकि प्रार्थी भी अप्रार्थी से बेहतर हित आराजी में नहीं रखता है जब आराजी मुतनाजा का 50 वर्ष पूर्व बहामी बंटवारा हो गया था पृथक पृथक भूखण्ड कायम हो गये कुछ खातेदारान ने मकानो का निर्माण कर लिया सिंचाई के लिये बोरिंग कर ली उस समय प्रार्थी ने कोई उज्ज नहीं किया अगर आराजी का बहामी बंटवारा नहीं हुआ था तो कुछ खातेदारान ने रिहायसी मकान बनाये बोरिंग की पशुबाडे बनाये उस समय प्रार्थी ने आराजी के सामलाती होने का उज्ज नहीं किया प्रार्थी का हिस्सा अलग से कायम है और प्रार्थी अपने हिस्से पर शांति पूर्वक काबिज है प्रार्थी के हिस्से की आराजी में ना तो कभी पहले हम अप्रार्थी ने प्रार्थी के काश्त कार्य में दखलनदायी की और ना ही कोई दखलनदायी करने का हम अप्रार्थीगण का इरादा है। जबकि सही यह है कि आराजी मुतनाजा का बंहामी बंटवारा होने के बाद जो भूखण्ड अप्रार्थी सं0 1 को प्राप्त हुआ उक्त भूखण्ड में से कुछ भूमि पर अप्रार्थी सं0 1 ने पशुबाडा बना रखा है ईंधन, कूडी डालता है पशु रखता है लेकिन अब परिवार की आवश्यकता के लिये पशुबाडे के लिये मकान बनाने का कार्य शुरू किया तो प्रार्थी ने मात्र आपसी रंजिश के कारण अप्रार्थी सं0 1 के कार्य को बाधित करने, अप्रार्थी सं0 1 की निर्माण सामाग्री बरबाद करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है। एक काश्तकार अपनी आराजी में पशुओं को रखने, कृषि उपज रखने, कृषि यन्त्र रखने के लिये आवश्यतानुसार निर्माण कार्य कर सकता है। अप्रार्थी सं0 1 उक्त भूखण्ड पर अर्सा करीब 25 वर्षों से ईंधन कूडी चारा रखता आ रहा है। अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से में पशुबाडे की भूमि पडत रहने से चारों तरफ से दबाने का अंदेशा है इसलिये चार दिवारी करना आवश्यक आया है। अब निर्माण करने में प्रार्थी केवल आपसी रंजिश साधनें के लिये प्रार्थना

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थी का हिस्सा पृथक से सुरक्षित है ना तो प्रार्थी का हिस्सा दबाया जा रहा है ना ही अप्रार्थी सं0 1 के निर्माण से प्रार्थी को कोई क्षति हो रही है ना ही प्रार्थी ने अन्य सहखातेदारान के निर्माण को रोका है आराजी मुतनाजा में पूर्व में काफी मकानात बन चुके है उस समय प्रार्थी ने कोई उज नहीं किया यदि आराजी का बंटवारा नहीं हुआ था और सभी सहखातेदारान व प्रार्थी का हिस्सा तय नहीं हुआ था तो प्रार्थी अन्य सहखातेदारान द्वारा निर्माण करने पर उज्ज क्यों नहीं किया प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 से रंजिश रखता है। अप्रार्थी सं0 1 के कार्य में बाधा डालकर अप्रार्थी सं0 1 को लाखो रूपयें का नुकसान कर दिया अप्रार्थी सं0 1 की सीमेन्ट, बजरी बरबाद हो रही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अपने अधिकारों की रक्षार्थ पेश नहीं किया है परन्तु अप्रार्थी सं0 1 को क्षति पहुंचाने अप्रार्थी को तंग परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी है जबकि कानून की मंशा है कि किसी व्यक्ति को तंग व परेशान करने व क्षति पहुंचाने के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जानी चाहिये। तकासमा कराने में हम अप्रार्थी का कोई उज नहीं है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 6 गलत है स्वीकार नहीं है। आराजी का बहामी बंटवारा हो रहा है प्रत्येक खातेदार पृथक पृथक भूखण्डों पर पृथक पृथक काबिज है केवल राजस्व रिकोर्ड में सामलाती इन्द्राज रहने से इंच इंच पर कब्जा होने की उपधारणा नहीं की जा सकती है। प्रार्थी बंहामी बंटवारे से प्राप्त हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज है प्रार्थी के हिस्से के भूखण्ड में अप्रार्थी ने कोई बाधा पैदा नहीं की है प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी में अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग उपभोग कर रहा है जिसमें हम अप्रार्थी का कोई उज नहीं है ना ही अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी के किसी कार्य में बाधा पैदा की है ना ही प्रार्थी के भूखण्ड के किसी जुज को दबाया है यदि प्रार्थी की आराजी का कोई हिस्सा बंटवारे के समय अप्रार्थी सं0 1 के कब्जे में पाया जावे तो अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी का हिस्सा पूरा करेगा लेकिन प्रार्थी का सम्पूर्ण रकबा प्राथर्थी के कब्जे में है प्रार्थी शांति पूर्वक अपने रकबे पर काबिज है प्रार्थी का उदेश्य केवल अप्रार्थी सं० 1 को तंग परेशान करने, अप्रार्थी सं0 1 के कार्य में बाधा पैदा करने, अप्रार्थी सं0 1 की निर्माण सामाग्री बरबाद करने का रहा है। प्रार्थी शुद्धहस्त होकर अदालत में अधिगम नहीं किया है प्रार्थी दुर्भावना से प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिये स्थायी व अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है प्रार्थी सहखातेदारान को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी नहीं है एक सहमालिक दूसरे सहमालिक को हु० ई० दवामी से पाबंद नहीं करा सकता है।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 7 इस प्रकार गलत है कि आराजी मुतनाजा मौके पर सामलाती नहीं है केवल राजस्व रिकोर्ड में सामलाती दर्ज है इसलिये

सहायक कलक्टर (का०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

राजस्व रिकोर्ड में खातेजात पृथक किये जाने से हम अप्रार्थीगण सहमत है प्रार्थना पत्र में प्रारम्भिक डिकी जारी कर दी जावे लेकिन प्रार्थी ने सालिम सामलाती आराजी को प्रार्थना पत्र में सामिल नहीं किया है प्रार्थना पत्र के पक्षकारान की अन्य आराजी भी सामलाती है जिसे भी प्रार्थना पत्र में सामिल करते हुये प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर तकासमा करा दिया जावे।

8. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं0 8 गलत है स्वीकार नहीं है। दिनांक 02/12/2024 को कोई घटना घटित नहीं हुयी थी प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश करने के लिये बनावटी व मिथ्या कारण बताकर बिना प्रार्थना पत्र हेतूक के प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी ने विवादित आराजी में दिनांक 25.11.2024 को नाप तौल कर नींव खोदकर प्रार्थी की उपस्थिति में मुर्हत किया गया था उस दिन प्रार्थी ने कोई उज्ज नहीं किया नींव खोदकर करीब 3 फुट भूमितल से ऊपर निर्माण कर दिया पीलर खडे कर दिये उसके बाद प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है यदि प्रार्थी को उज्ज था तो नींव खोदने के दिन ही एतराज करता तो अप्रार्थी सं0 1 लागत नहीं लगाता एवं निर्माण सामाग्री, सीमेन्ट, सरिया, बजरी नहीं लाता। प्रार्थी ने उस समय प्रार्थना पत्र पेश किया जब अप्रार्थी सं0 1 ने सारी निर्माण सामाग्री लाकर रखली व 20 – 22 दिन तक निर्माण कर लिया था। अप्रार्थी सं0 1 ने ना तो प्रार्थी के किसी प्रकार कृषि कार्य में बाधा पैदा की ना ही आराजी का विकय का कोई खतरा है। प्रार्थी ने समस्त गलत तथ्य अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन कहे कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की सहखातेदारी आराजी है। विवादित आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त कर रहे है। परन्तु अप्रार्थी विवादित आराजी को आये दिन प्रार्थी के हिस्से को जोतने बोने पर उतारू हो रहे है और डोल को मिसमीनार करते रहते है। विवादित आराजी का बहामी बटवारा हो रखा है परन्तु बटवारा राजस्व रिकोर्ड कें दर्ज नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को विवादित आराजी पर कब्जा ना करने व डोल को मिसमीनार ना करने बाबत कहा तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को बेदखल कर बेचान करने व निर्माण कार्य करने की धमकी देने। माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न पत्रावलीयो में निर्णय पारित करते आदेश पारित किये गये है कि विवादित आराजी में सहखातेदार काश्तकार को जब तक बटवारा नही हो जाता है तो उसे स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना उचित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में RRT 2023 (1) पेज नम्बर 298 देवराम बनाम स्टेट ऑफ, RRT 2023 (2) पेज नम्बर 919 सुरेश बनाम सुखवीर, RRT 2023 (2) पेज नम्बर 1359 गौरा बनाम पूरणराम, RRT 2018 (1) पेज नम्बर 298 भाकृति बनाम कृष्णा भार्गव, RRD 2016 पेज नम्बर

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

580 की नजीर प्रस्तुत की गई। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण नही हो जाने तक स्थाई निषेधाज्ञा से पबान्द किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन कहे कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की सहखातेदारी आराजी है। विवादित आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त कर रहे है। मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। प्रार्थी ने केवल अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से यह स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालयो द्वारा पारित विभिन्न पत्रावलीयो के निर्णय के अनुसार खातेदार को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जा सकता है। यदि प्रार्थी ने अप्रार्थी से कोई परेशानी है तो वह अपने हक हिस्से तक स्थगन आदेश प्राप्त कर सकता है ना की सम्पूर्ण विवादित आराजी पर। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को खारिज कर विवादित आराजी को स्थगन आदेश निरस्त किया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण का जबाव का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। किसी खातेदार काश्तकार को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना न्यायउचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर बहस पर चस्पा नही होती है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं आराजी ख0 नं0 हाल 113/0.01 हैक0, 114/0.01 हैव0, 115/1.37 हैक० वाके ग्राम रूध तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान पर अन्तिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0